14.13 hrs.

STATEMENT RE. JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) ORDINANCE

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Ordinance, 1968 under rule 71 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-114/68.]

14.18½ hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion on the motion of Thanks on the President's Address. Shri Mohamed Imam will continue his speech.

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): Mr. Deputy-Speaker, while resuming my speech, it is necessary for me to refer to the dispute between Maharashtra and Mysore. The Government of Maharashtra has been carrying on an intensive propaganda and campaign against the report and also against the author of the report, assailing his character and impeaching his impartiality. I must refer to this in view of the fact that this House and the hon. Members of this House have been denied the privilege of discussing this report, because the Minister of Home Affairs has refrained from keeping this report on the Table of this House.

I must make it clear that the Commission itself was appointed on the insistence of the people and Government of Maharashtra with satyagraha, fast unto death and so on. It was the Home Ministry of the Government of India that selected Shri Mahajan and appointed him as the one-man commission. Though the Government of Mysore and the people of Mysore opposed the appointment of the Commission and opposed the reopening of the border issued, as it would create further confusion, the Government of Mysore reconciled itself to the appointment of the Commission because, firstly, it wanted that this dispute which creted bad feelings should come to an end and, secondly, the person appointed was an eminent jurist. Shri Mahajan has held the highest judical post in India, being the Chief Justice of the Supreme Court of India at one time. He had also served in the Boundary Committee that was appointed under Lord Radcliffe and had good knowledge of the intricacies of boundry disputes. In view of all this, the Mysore Government agreed to this appointment and offered all co-operation to Shri Mahajan in arriving at a decision.

After the reorganisation of States Mysore was allotted some areas from Madras, Andhra and Maharashtra. Mysore had its own differences with Madras and Andhra. But they were amicably settled. In fact, there were serious differences with the State of Andhra regarding Bellari. But we had adopted the give-and-take policy and we came to the decision. Since then, they have been living very happily like brothers exchanging blessings instead of curses. Our Maharashtra friends deem it to be their mission to grab as much area as possible out of the area that has been allotted to the State of Mysore. I must make it clear that Shri Mahajan has allotted a good portion of the territory from the State of Mysore to the State of Maharashtra. Two valuable and prosperous tracks, Nipani and Khanapur have been given to the State of Maharashtra. Nipani which fetches a revenue of Rs. 2 crores to the Government of Mysore and Kanapur with its rich track of forests have been awarded, under the Report, to the State of Maharashtra. But this has not satisfied them. Their target, from the beginning, is on the city of Belgaum. In fact, they have rejected this Report on this ground. They call

the Report as a bundle of inconsistencies; they accuse Shri Mahajan as being contradictory, as being discriminatory, and per verse. In fact, it is very unfortunate that in the State of Maharashtra, there is a good deal of mudslinging against him and, I am told, in some places, even his effigies are burnt. This is rather unfortunate. I never expected that the Government of Maharashtra would descend to the level of an ordinary litigant who, when he finds that the judgement of the court is against him, will call the judge by all sorts of names. About the city of Belgaum, leave alone the opinion of Mysore, leave alone the opinion of Maharashtra, because we argue according to our own conjectures, the two highest judical tribunals have examined the case and have given their verdict that the city of Belgaum must be in the State of Mysore. The S.R.C. an eminent Commission consisting of eminent people, allotted Belgaum to the State of Mysore. Shri Mahajan whose integrity and impartiality is unquestionable also examined it and allotted Belgaum to the State of Mysore. I think, we, as a disciplined nation, must consider that the opinion given by these two impartial tribunals is paramount and impartial than the biased opinion of each Government. So, I submit, according to this, Belgaum should be in Mysore and it shall remain in Mysore.

Now, the Home Minister has been making it more complicated by adopting a novel method of obtaining consensus of the nation. I do not know what the consensus of the nation means. It is a new theory, a new device, a new manoeuvre, of extricating himself from the difficulties which he himself has created. About the language issue also, he wants consensus. About the border disputes, he wants consensus which was not heard of before and which was never heard of at the time of States reorganisation. Even if you want consensus, this is not the time for that. He ought to have obtained the consensus of the people before the event, before the mischief was done. What is the use of obtaining consensus after the event and after the mischief has been done. If he wanted consensus, he should have obtained it before the appointment of the Mahajan Commission. To think of a consensus now is impracticable and it is not at all possible. He says that the consensus must be between Mysore and Maharashtra. The Chief Minister of Mysore has openly rejected this procedure of consensus. This consensus is a thing which we cannot accept. What is this consensus? Recently, the Home Minister tried it by inviting some persons who are either interested in this issue or who do not know anything about it. This will not help. I submit that this Report must be accepted in pursuance of the assurance given. Though legally, it cannot be considered as an award, it must be considered, morally, as an award. The Congress Working Committee and the Chief Minister of Mysore, Shri Nijalingappa, came to an understanding that the Mahajan Report and its findings must be accepted and implemented when the Commission was appointed, I submit to the Government that they must implement it and leave it to the impartial judgement of this House to make any changes. The Report itself was published nearly eight months back. It has not been placed before this House. It looks very highly suspicious and goes against the Home Minister. I appreciate the position of the Home Minister. He was the Chief Minister of Maharashtra. He himself initiated this border dispute. He himself was responsible for this. Now. I appreciate his position. He cannot take a stand against Maharashtra. I suggest that, the Prime Minister or another Minister take up this question and come to an amicable settlement. Otherwise, Sir, to allow this question to drag on like this will be highly prejudicial to the country. If this Report is disregarded, we will have to appoint another Commission. The same thing will repeat itself.

Sir, we are in a lamentable position. There is the language trouble which has a tendency to disrupt the country

[Shri J. Mohamed Imam]

and divide the country vertically. We are in the midst of this trouble and these problems are going on and growing. In this way, I do not know what the future of this country will be. The future is drak and uncertain. But still, Sir, I am an optimist. I am an optimist and I believe that things must get worse before they become better. The nation is now divided as it has never been divided before. I am certain that this country will survive, that India will survive. "The moving finger writes, having writ, moves on and not all the efforts of the Government can obliterate one word of it."

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की लगभग सभी समस्याओं, सरकार के कामों, उस की सफलताओं और योजनाओं का जिक्र किया है । उन्होंने संसद् सदस्यों से यह अपील भी की ह कि राष्ट्रीय हित की महत्वपूर्ण समस्याओं पर सरकार विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठ कर विचार करने के लिए तैयार है । उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है और मैं उम्मीद करता हूं कि विरोधी दल इस सुझाव पर ठण्डे दिल से विचार करेंगे । राष्ट्रीय समस्याओं, देश की एकता, देश की रक्षा, देश की अखण्डता, खाद्य समस्या, विकास कार्य और विभिन्न देशों में स्थापित विभिन्न दलों की सरकारें, इन सभी समस्या ों पर देश के हित को सामने रख कर हमें विचार करना चाहिए ।

अब में हिमाचल प्रदेश के बारे में आप से कुछ कहना चाहूंगा । मेरी यह मांग है कि हिमाचल प्रदेश को पूरी स्टेट का दर्जा दिया जाय । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पिछड़ी जातियों के उत्थान का जिक्र किया है लेकिन पिछड़े इलाकों के उत्थान का नहीं । हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है जो 22 हजार वर्गमील में फेला हुआ है । मगर फिर भी केन्द्र शासित प्रदेश है । सन् 1948 में जब कि यह प्रदेश बनाया गया था उस वक्त कई पहाड़ी रियासतों को खत्म कर के यह एक छोटा सा सूबा बना था और उस वक्त भारत सरकार ने हमारे साथ कुछ वायदे किए थे । सन् 1948 में इस की आबादी 9 लाख थी लेकिन आज 30 लाख है । सन् 1948 मे इस का क्षेत्रफल 9600 मील था। लेकिन आज 22 हजार वर्गमील है । उस वक्त इस का रेवेन्यू 8.5 मिलियन था लेकिन आज 137.9 मिलियन है । मगर फिर भी वह केन्द्र शासित प्रदेश है । पंजाब के पहाड़ी इलाके जो इस के साथ मिलाए गए हैं वह फुल फ्लैज्ड स्टेट से इस में शामिल हुए हैं लेकिन आज वे दूसरे दर्जे के शहरी माने जा रहे हैं । हिमाचल प्रदेश की असेम्बली ने एक मत से भारत सरकार से मांग की है कि उसे पूरी स्टेट का दर्जा दिया जाये । केवल असेम्बली ही नहीं बल्कि पंचायतों, ब्लाक समितियों और जिला परिषदों सभी ने मतालबा किया है कि हिमाचल प्रदेश की समस्याओं का हल तभी हो सकता है जब कि उसे पूरी स्टेट का दर्जा दिया जाय । आसाम भी एक पहाड़ी प्रदेश है । उसमें नारा लगता है आसाम आसामियों के लिये है । वहां पर गैर-आसामियों को लूटा जाता है, उनको निकाला जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां बहादुर लोग बसते हैं । आज देश की फौज में हमारे बहादुर डोगरे सरहदों पा डटे हुये हैं । पाकिस्तान की फौजों के मुकाबले में और उनके पैटन टैंकों के मुकाबले में अपने शरीर को झोंक कर उन्होंने उनकी गोलियों की बौछार को बन्द कराया था । देश के लिये सैकड़ों जवानों ने अपनी जिन्दगियां सर्फ कर दी थीं । फिर भी अगर एसा मौका आया तो हमारे बहादुर डोगरे देश की रक्षा के लिये बलिदान देंगे । मै आपसे यह कहना चाहूंगा कि जहां अस्सासाम के पहाड़ी प्रदेश के लोग आसामियों का नारा लगाते हैं वहां पर हमारे बहादुर डोगरे जो नारा

लगाते हैं वह जंग के मैदान में लगाते हैं, वे जय हिन्द का नारा लगाते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, वे देश की समस्या और संस्कृति की याद दिलाते हैं। जय हिन्द का नारा लगाकर, पैटन टैंकों के सामने अपने शरीर को झोंक कर वे उनकी गोलियों की बौछार को बन्द कर देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, उस प्रदेश के 30 लाख लोगों के नुमायन्दे की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारा प्रदेश इस संसद् को विश्वास दिलाता है कि अपने मतवाले के लिये हम कोई भी ऐसी बात करने के लिये तैयार नहीं हैं जिसमें देश की एकता पर, देश की अखण्डता पर किसी तरह की फूट का असर हो हम ऐसा नहीं चाहते। हम शान्ति चाहते हैं, शान्ति से अपने मताबले को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांग पर गौर किया जाय और गौर करने के बाद हमारा सूबा में दिया जाय। हमारी मांग जमहूरी तरीकों से है। हमारा जो पिछड़ा प्रदेश है जिसमें कि फौजी लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी डोगरे हिन्दुस्तान की फौजों में सब जगह पर हैं और देश की हिफाजत के लिये वे अपना काम करते हैं। चीन की लड़ाई के समय भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, पाकिस्तान की जंग के अन्दर भी उन्होंने बड़े काम किये हैं और आज भी सारे देश की फौजों में उनका महत्वपूर्ण रोल है। मैं राष्ट्रपति जी से और भारत सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इस मतालबे को मंजूर किया जाये और हिमाचल प्रदेश को पूरी स्टेट का दर्जा दिया जाय।

दूसरे हिमाचल प्रदेश के टीचरों की हड़ताल भी 29 तारीख से होने वाली है। हमारी सरकार ने यह बात मान ली थी कि कोठारी कमीशन की जो सिफारिशें हैं इनको मान लिया जाये लेकिन इसके लिये अगर भारत सरकार पैसा नहीं देती है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार भी उनको पसा नहीं दे सकेगी। इससे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि अगर टीचर्स दोबारा फिर हड़ताल पर चले गये तो लाखों बच्चे जिनके इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, उनका सारा साल बेकार हो जायेगा। मैं इस संसद् के सामने अर्ज करना चहता हूं, और आपसे भी निवेदन है कि आप भारत सरकार तक हमारे विचारों को पहुंचा द ताकि टीचरों की बात है, केन्द्रीय सरकार की जो पैसा देने की जिम्मेदारी है, वह पैसा केन्द्रीय सरकार जल्दी दे दे ताकि यह झगड़ा आगे न बढ़े।

राष्ट्रपति जी ने वजीरों और सरकारी अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की तहकीकात करने के लिए लोकपाल और लोक आयुक्त मुकर्रर करने की बात कही है। वह अच्छी बात है। इससे एडमिनिस्ट्रशन साफ सुथरा होगा और एडमिनिस्ट्रशन में जो खामियां हैं, उनको दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन भ्रष्टाचार की जो पहिले बड़ी समस्या आज हमारे सामने है वह यह है जैसा कि हमारे गृह मन्त्री जी ने कहा था कि तीस हज र और चालीस हजार रुपया लेने वाले आय र म और गया राम हैं, इनके नाम में यें कहूं कि श्री श्री 21 हजार एक और पदम श्री 41 हजार एक है जिनके नाम कि आया राम और गया राम हैं। हमारे खयाल में इन लोगों के बारे में कोई कानून नहीं है कोई बन्धन नहीं है कोई भी चीज नहीं है। एक प्रदेश के अन्दर ही नहीं, सारे प्रदेशों के अन्दर यह हालत है, अभी अपोजीशन की बैंचेज से जैसा कि कह रहे थे कि पिछले सेशन में यहां आए थे तो कहते थे कि काश्मीर से लेकर बंगाल तक सफाई हो गई है, सब जगह संयुक्त विधायक दलों की सरकारें हैं लेकिन मैं तो कहता हूं कि भानुमति का कुनबा जो है वह इकट्ठा हो कर बैठ गया था।

उसी तरीके से आज वह सारे एक एक करके बिखर गय हैं, ढह गये ह यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जोकि सब से बड़ा प्रदेश था

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

उस में भी संयुक्त विधायक दल की जो सरकार कायम हुई थी वह भी खत्म हो गई है। अब अगर इस तरीके से प्रदेशों में हम स्थायी सरकारें बना नहीं पायेंगे और वहां पर इस तरह से सरकारें ढावांडोल होती रहेंगी टूटती : दलती रहेंगी तब यह हमारा प्रजातन्त्र मजबूत नहीं हो सकता है। इस तरह की राजनैतिक अस्थिरता जैसी की प्रान्तों में हाल में देखने को मिली है वह एक स्वस्थ चिन्ह नहीं है। जब तक प्रान्तों में शक्तिशाली सरकारें और स्थाई सरकारें कायम नहीं होती हैं तब तक प्रजातन्त्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती है।

आज जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, और उसका स्तर गिर गया है और हालत यह बन रही है कि आज के राजनीतिज्ञ चांदी की झंकार से, नोटों के अम्बार से और हुस्न के मार और पदों की ललकार से प्रभावित होकर अपने ईमान और धर्म से गिर रहे हैं और जो एक अमानत, जिम्मेदारी जनता ने उनको दी हुई है अगर उसको वह इस तरह से बेच देते हैं तो मैं समझता हूं कि वह एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे पक देश की आजादी, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

हमें इस सिलसिले में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश के अन्दर पाकिस्तान व चीन के एजेंट बैठे हैं, उनके पास यह सारी चीजें हैं और वह उन के जोर पर इन राजनीतिज्ञों को जनता के इन नुमाइन्दों को खरीद सकते हैं और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा हो भी रहा है। इस सम्बन्ध में वड़ी सतर्कता बर्तने की जरूरत है। असम मेंजो कुछ हुआ ह, असम में जिस तरीके से नारे आदि लगे ह मद्रास में जिस तिरीके से नारे लगे हैं, कहीं माओ के तरीकों व विचारधारा का प्रचार हो रहा है तो कहीं देश में पाकिस्तान के अय्यूब का नाम लिया जा रहा है। इस बात पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करना होगा और केवल विचार ही नहीं करना होगा अपितु इस देश की अखंडता को हर हालत में कायम रखना है, बनाये रखना है। सब से बड़ी बात हमारे सामने यह है कि हम देश के अन्दर मजबूत सरकारें कैसे बना सकते हैं? मजबूत और स्थायी सरकारें प्रान्तों में कैसे कायम हो सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे राजनीतिज्ञ जो इस तरह की अस्थिरता का परिचय देते हैं और आयाराम व गयाराम का सा पालिटिक्स में व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। जहां वजीरों और सरकारी अफसरों के काम आदि में गड़बड़ हो उसे ठीक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करना है, सरकारी अफसरों के कामकाज उन में चल रही लालफीतेशाही गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करना है वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं उन के द्वारा ली गई जायदादों आदि अन्य सम्पत्ति आदि के बा में जांच पड़ताल करवाना है वहां साथ ही तमाम दीगर लोगों की भी जादादों व कारनामों आदि के बारे में जांच बैठाना है जो कि पोलिटिकल फ़ील्ड में और सोशल फ़ील्ड में काम करते हैं क्योंकि वहां भी कम गड़बड़ नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि वजीरों और सरकारी अफसरों के साथ साथ उन लोगों की भी बाकायदा इन्क्वायरी होनी चाहिए उन तमाम लोगों की जांच के लिए बाक़ायदा कोई एक कानुन बन जाना चाहिए ताकि जहां हम एडमिनिस्ट्रशन से इस बीमारी और गड़बड़ घुटाले को दूर करना चाहते हैं वहां समाज से भी इस बुराई का ख़ात्मा हो जाय।

मैं आगे' कहना चाहुंगा कि समाज के अन्दर ऐसे लोग हैं जो कि

जोकि चोरी करते हैं, डाके मारते हैं, नाजायज शराब बेचते हैं और तस्करी व्यापार करते हैं, जुआ खेलते हैं और दूसरी नाजायज व गैर-कानूनी चीजें करते हैं लेकिन चूंकि वह ताकत रखते हैं, दौलत रखते हैं, असर वाले हैं और आज के समाज के अन्दर उन्हें बहुत बड़ा दर्जा हासिल है इसलिए जहां हम लेजिस्लेटर्स और आफिशिएल्स के ऊपर एक स्वस्थ्य अंकुश लगाना चाहते हैं, उनके अंदर मौजद सारी खामियों को दूर करना चाहते हैं और गिल्टी लोगों के खिलाफ हम ऐक्शन लेना आवश्यक समझते हैं वहां जैसा मैंने कहा समाज में ऐसे तत्व मौजद हैं, ऐसे राजनीतिक लोग विद्यमान हैं जोकि विभिन्न पार्टियों में काम करते हैं यदि उनके ऊपर भी हम कोई अंकुश नहीं लगाते तो यह समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करना होगा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

उस के बाद मैं पबलिक सैक्टर के ऊपर आता हूं। भारत सरकार इस सिलसिले में बधाई की पात्र है कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित कर के देश को खुशहाली के एक नये रास्ते पर डाला है। सरकार का यह क़दम सराहनीय है क्योंकि चंद सरमायेदारों की इजारेदारी को तोड़ने के लिए यह चीज़ ज़रूरी थी। देश में सोशलिज्म लाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हमारे सरकारी क्षेत्र जितने हैं पबलिक सैक्टर जितना है उस को हम आगे बढ़ाते।

देश का काफ़ी सरमाया सार्वजनिक क्षेत्र में लगा हुआ है। काफ़ी लोन हम ने इस के लिए लिया हुआ है। अरबों रुपया लगाया हुआ है। हमारे द्वारा इतना रुपया लगाया जा रहा है लेकिन यह सब करने के बावजूद भी हम जितना इस पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं उसे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पब्लिक सैक्टर के तरक्की न करने उस के कामयाब न होने का कारण सब से बड़ा यह है कि जो प्राइवेट सैक्टर है उस की कोशिश होनी है बड़े बड़े प्राइवेट सरमायेदारों की कोशिश होती है कि इस सार्वजनिक क्षेत्र को हम किसी तरीक़े से आगे न बढ़ने दें। उस को फेल करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति कितने ही तरीके अख्त्यार करते हैं कोई न कोई ऐसी बात निकालते हैं ढंग निकालते हैं जिससे कि उस के काम में गड़बड़ हो और वह पनप न सके बढ़ न सके।

सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी ख़ामियां हैं उन्हें दूर करने की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज लोगों को ऐतराज़ है कि उस में मुनाफ़ा कम होता है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति जनता में उत्साह हो विश्वास हो जनता का तमाम पैसा जो इस पबलिक सैक्टर में लगा हुआ है वह सुरक्षित रहे और उसका ठीक रिटर्न उन्हें मिले। सार्वजनिक क्षेत्र को शक्तिशाली व प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छा व अधिक उत्पादन करने के लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ख़ामियां हैं उन को हटाने और उस में सुधार लाने हेतु कोई एक ऐसा कमिशन कोई ऐसी कमेटी मुकर्रर करें जो कि उन तमाम चीजों को देख कर उन ख़ामियों को दूर करे। उस क्षेत्र की प्रगति के लिए हम कोई ठोस क़दम उठायें।

प्रजातंत्र की नींव मजबत करने के लिए भाषा का भी सवाल महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से भाइयों ने भाषा के बारे में अपने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं भी सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे दक्षिण के भाई अगर यह कहते हैं कि हमें तीन भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी जब कि उत्तर भारत के लोग जो हैं उन को दो भाषाएं ही पढ़ कर काम ख़त्म हो जाएगा और उन को बोझ बराबर करने के लिए ऐसी बात शायद सोची जा रही है कि उत्तरी भारत में तीसरी भाषा अनिवार्य

श्री प्रेम चन्द वर्मा]

की जाय। मेरे ख़याल में सब से बड़ा झगड़ा जो भाषा का है वह केवल एक बात का है और वह नौकरियों का सवाल है। अगर नौकरियों का मामला हल हो जाय तो भाषा का मामला अपने आप हल हो जाता है। इस के लिए मेरा सुझाव यह है कि हमारा जो भाषा सम्बन्धी फारमूला बना हुआ है उस के मुताबिक ही रहने दें, उस में तबदीली करने की जरूरत नहीं है। अगर भाषा का स्वीकृत फ़ारमूला बदला जाता है उस में अब कोई संशोधन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि उसे उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में उसे पार्लियामेंट ने पास किया है। हर प्रदेशों के मुताबिक सेंटर सर्विसेज़ के अन्दर नौकरियों में उनका कोटा मुकर्रर कर दिया जाय और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो यह उनका सर्विस का झगड़ा खत्म हो जाता है। मेरी राय में सेंट्रल सर्विसेज में परसेंटेज का कोटा मुकर्रर करना एक उचित सुझाव है। ऐसा करने से जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं चौराहों पर कि उनको इस भाषा सम्बन्धी निर्णय से बड़ी तकलीफ है और वह तरह तरह की धमकियां भी देते हैं जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस भाषा के सवाल को लेकर देश के बंट जाने का सवाल आ गया है यह खत्म हो जायेगा लेकिन मेरा यह कहना भी है कि भाषा के सवाल को लेकर देश के बंट जाने का सवाल नहीं आना चाहिये। हिन्दी भाषा बोलें अंग्रेजी बोलें किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिये। हम भी यह मानते हैं कि भाषा किसी पर थोपी नहीं जानी चाहिये लेकिन यह भी जरूरी है कि हमारे देश की एक सम्पर्क भाषा हो। अब सम्पर्क भाषा देश की होने का जहां तक सवाल है तो हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो कि सारे देश में समझी जा सकती है और सारे देश में आमतौर पर बोली जाती है। त्रावणकोर कोचीन में भी चले जायें तो वहां भी लोग टूटी फूटी हिन्दी बोल सकते हैं व समझ सकते हैं हिन्दी के अलावा और कोई दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जो कि सारे देश में समझी व बोली जा सके।

जो लोग भाषा के सवाल को लेकर गड़बड़ फैलाते हैं, झगड़ा फिसाद करते हैं मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहूंगा, हालांकि मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता लेकिन यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि इस लैंग्वेज के सवाल में पालिटिक्स ज्यादा है। कुछ प्रदेशों की सरकारों में रहने वाले मेरे दोस्त मुझे यह कहने के लिये माफ करें कि यह लैंग्वेज का सवाल उछाल कर, इसका टंटा बनाये रख कर वह अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। दरअसल उन लोगों और उन संस्थाओं का न तो कोई उद्देश्य है, न उनका कोई रास्ता है, न उनका साधन है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है बस केवल एक चीज उनके सामने है किसी तरह यह लैंग्वेज की आड़ लेकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लें और वह सत्तारूढ़ हो जायें, हुकूमत हमेशा उनके हाथ में बना रहे। हुकूमत को हाथ में लेने के लिये जनता को किसी तरह से ऐक्सप्लाएट किया जा रहा है, जनता के जजबात से खेलकर किस तरह उसका फायदा उठाया जा रहा है यह यहां देखने में आता है। जब तक यह इक्तदार में बने रहने की उनकी भूख खत्म नहीं होती है तब तक वह बात बनने वाली नहीं है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भाषा का मसला हल हो चुका है, अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने उस पर निर्णय लिया है उसको दुबारा रिओपन करने की कोई जरूरत नहीं है।

एक मेरी अर्ज है और कल भी उसका हाउस में जिक्र आया था और वह शुमाली हिन्दुस्तान में हिन्दू विरासत कानून है। इस हिन्दू विरासत कानून की वजह से हमारे शुमाली हिन्दुस्तान में जो छोटी छोटी जायदादें हैं, जो छोटी छोटी जमीन हैं इस कानून की रू से उसके और भी टुकरे होते जा रहे हैं। सरकार को उसके ऊपर

विचार करना चाहिये क्योंकि वह जो हिन्दू विरासत कानून है उसमें जो लड़की को हिस्सा दिया गया है बाप की जायदाद में वह एक ऐसा कानून है कि जिससे हमारा सारा का सारा पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिये जो लड़की है उसे अपना हिस्सा ससुराल वालों की जायदाद में से मिलना चाहिये।

श्रीमती लक्षमीकान्तम्मा (खम्मम) जब भाई भाई का हिस्सा होता है तब क्या जमीन नहीं बंट जाती है?

श्री प्रेमचन्द वर्मा : हमारे अपोजीशन की ओर से कुछ संशोधन आये हैं। उनमें हमारी कम्यूनिस्ट सदस्या श्रीमती सुशीला गोपालन का भी एक है। उसमें कहा गया है कि सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों में आटोमैटिक मशीन से जो काम होता है उसको बन्द करने के बारे में राष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा। अजब बात है। कम्यूनिस्ट पार्टी अपने को प्रोग्रेसिव कहती है लकिन कहती है कि देश आज सोलहवीं सदी में चला जाये। वह कहती है कि आटोमैटिक मशीनें न लगाई जायें, आदमी गधों की तरह काम करें। हमारी बहन यहां बैठी हुई हैं। म उनसे कहना चाहता हूं कि कोई न कोई नई बात कहनी चाहिये, कोई न कोई नई बात होनी चाहिये, इसलिये उनका इस तरह से कहना बड़ी नामुनासिब बात है। मैं भी प्रोग्रेसिव हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपोजिशन वालों का इस तरह से कहना मुनासिब नहीं है।

इस के बाद एक संशोधन में कहा गया है कि भारत में जो गैर-कांग्रेसी सरकारें ह, उन के साथ भारत सरकार का रवैया बड़ा गलत है और वह उन के साथ इन्साफ नहीं करती। मैं इस बात का खंडन करता हूं। आपको मालूम है कि जब हम लोग चीख रहे थे कि हिमाचल में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है तब भारत सरकार ने ने हिमाचल को अनाज नहीं दिया लेकिन केरल को जरूर गाड़ियां की गाड़ियां गई हैं। मैं तो यहां तक कहने क लिए तैयार हूं हूं कि भारत सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों से डरती है क्योंकि वह उस को बदनाम करती हैं और उस से नाजायज फायदा उठाती हैं।

अन्त में म आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिये राष्ट्रपति जी ने कुछ सुझाव दिये हैं। म उम्मीद करता हूं कि अपोजीशन वाले उन की ओर ध्यान देंगे और उन्होंने जो अमेंडमेंट दिये हैं उन को वह वापस लेंगे। म ने तो केवल एक दो का ही हवाला दिया है, लेकिन इसी तरह की बेतुकी बातें उन सबों में कहीं गई हैं, जिन में कोई सार नहीं है।

मैं अन्त में फिर राष्ट्रपति जी का उन के अभिभाषण के लिये अभिनन्दन करता हूं।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कोई नहीं बोलेगा? उस को भी तो बुलाया जाना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I may explain it. I know you had sent it individually, but your party has sent the name of Mr. Hem Barua. So, I thought he would be here. Otherwise, I will call you.

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR: Shri Hem Barua has given you a letter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Oh, I see—Then I will call you.

SHRI SWELL (Autonomous Districts): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the President in his address, among other things, referred to the recrudescence of divisive forces causing conflit and violence and to the question of reorganisation of Assam for which he sought the co-operation of this House

[Shri Swell]

in order to arrive at a satisfactory solution in the near future. Last week, this House had a debate on the situation in Assam in which, in the words of the Home Minister, "this nation had witnessed the most disturbing exhibition of regional feelings." In that debate, certain views have been stated; certain positions have been taken; certain explanations have been offered which I feel are not the whole story and have not helped this House and this nation to understand the true nature of the problem in that troubled-spot of our country in its proper perspective. Therefore, without running the risk of repetition, I would take this opportunity of reverting to these two issues, because I consider them the most urgent and most important not only for the continued peaceful existence of that part of our country—north-eastern India—but of the nation as a whole. For, if this Government and this Parliament fail in their duty in doing what is right for that part of the country, it will set in motion a chain reaction that may threaten the integrity and the peaceful existence of this nation as a whole.

The Home Minister, in explaining the situation, had said almost everything that could be said and that could lie in the power of the Home Minister speaking with relation to the existing State Government, short of saying that the State Government was guilty of all that had taken place in Assam and therefore deserved to get a sack. I shall quote from what the Home Minister himself has said:

> "I had mentioned this matter to the Chief Minister himself that the local administration, the local machinery, had completely failed, that the Collector wanted to enforce law and order, but he could not do that. That is a fact."

That is in one part of his speech. In another part of his speech, he has said:

> "About this question of reorganisation and poster-campaign, etc., we were aware of it and we have raised this question many times with the State Government and we had pointed out to them that this was something very serious. Some of us have had discussions with the Chief Minister also on this question once or twice. I must say that it was pointed out that possibly Gauhati city itself might be the focus of this trouble."

In another part of his speech, he has said:

> "The Central Police Force, whatever we could spare, was present in other parts of Assam. If they had a proper assessment, they possibly could have made use of it by sending the police force there."

This morning, we had it from the mouth of the Deputy Prime Minister in answer to a question when he said that he refused to give any grant to the State Government of Assam for the rehabilitation of the affected people of the Gauhati riots, because that was the result of what the the State Government did not do, or to put it in other words, it was the work of what the State Government did.

Now, Sir, there are certain questions which come up to which this house must have a clear answer and this nation must have a clear answer. With all these warnings which the Home Ministry had given to the State Government of Assam, very pointed warning even pointing out the place where the trouble might occur, with all the police force that the Central Government had placed at the disposal of the State Government and with all its own intelligence and the things that had happened in Assam during the days and the weeks and the months preceding the eruption, how was it, why

was it, that the State Government of Assam did not think it necessary to take even elementary precautionary measures to meet such a situation? That is a question which has not been answered adequately by the Home Minister. I think he has answered it, but he did not say so in so many words, that the State Government was derelict in its duty, that the State Government, for whatever reason, chose not to pay any attention to the warning given by the Central Government and not to make use of the police force that the Central Government had placed at its disposal, not to speak of utilising its own State police force. The second question to which an answer has to be found is, after the troubles had started round about 9 o'clock in the morning at Gauhati, how was it, why was it, that the State Government police, even the ordinary police force that was responsible there at Gauhati—and a few furlongs away there was also the military cantonment and near about Gauhati there were camps of the Central Reserve Police—did not take any measure whatsoever to intervene and to try to stop the mischief? How was it, why was it that it allowed the whole day a free hand to the miscreants to go round as if in a holiday spree, young boys, tiny boys, going from one part of the town to another over an area of 40 square miles and to another place, 17 miles away from Gauhati, carrying bottles and buckets of petrol, spraying the petrol into the houses and shops of people and setting them afire without any kind of resistance whatsoever? How was it that these things were possible? These are the questions to which answers must be found.

I would leave it to the good sense, to the understanding, to the power of reasoning of the Members of this House and of the Central Government to put two and two together and to find an answer. But I have a better answer than mere inference, and the answer is that these things were planned, planned not only by the people who indulged in those acts but planned by the State Government itself, that these things were done with the knowledge, with the connivance of the State Government. That is the answer. I am not indulging in a piece of imagination.

AN HON. MEMBER: Dismiss that Government.

15 hrs.

SHRI SWELL: I am coming to that. Here in my hand is a copy of the Assam Tribune dated 22nd January, 1968. This is the paper which is supposed to be the voice, the English voice, of the Assam Government, and the Assam politicians. This paper says that on the 21st of January the Assam Pradesh Congress Committee, together with the parliamentary party of the Congress Party in the Assam Assembly, in a meeting at which the Chief Minister himself was present adopted a certain resolution, giving a warning to the Central Government that they would fight against it and that was five days before the trouble erupted. This is what the Assam Pradesh Congress Committee and the Congress Parliamentary Party decided and said:

> "that the APCC also took a solemn pledge to stand by the people and take any steps necessary to maintain the unity of Assam".

To stand by which people? It knew who were the people and what the people were planning. According to the Home Minister himself, he had warned them, he had told them that Gauhati might be the focal point of the trouble. After the Home Minister had drawn the attention of the State Government to this state of affairs, the Government of Assam together with the Assam Pradesh Congress Committee adopted this resolution, taking a solemn

[Shri Swell]

pledge to stand by the people. Then, further than that, as a follow-up of this resolution, I have here in my hand a cutting from the same Assam Tribune dated 28th January, 1968 which says that the Chief Minister of Assam, Shri B. P. Chaliha on the Republic Day, addressing a Republic Day parade, where it is expected that the head of government and the head of the State would dwell on matters of policy and generalities relating to the welfare of the nation, went out of his way and brought in a controversial issue and said this:

> "If the existing geographical homogenity was not maintained, there could be no future, no safety and no development in the whole of Assam."

No future and no safety,—a clear warning that there would be no safety in Assam; and no development—another clear warning that those people from outside who have gone to Assam in order to develop that State by setting up trade, commerce and industry, those people should be withdrawn, that Assam does not need this development. Read these two, the resolution of the Assam Pradesh Congress Committee and what the Chief Minister said, in the context of what subsequently happened a few days later at Gauhati and the whole picture is clear.

I accuse the State Government of Assam of knowing what was a foot, particularly after the Home Minister had warned them and of giving the miscreants the green light to go on. That was how it was possible. That is the only explanation why it did not use the police force, why it did not try to intervene.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He should conclude now.

SHRI SWELL: Sir, I am very much concerned with this problem and I would like this House to understand it. So, I would beg your indulgence to give me a little more time.

Now, the Home Minister, in his speech, has rejected a suggestion or a demand made by certain Members of this House that the President's Rule should be imposed in Assam. I wish he had not done that so nonchalantly, so hurriedly. I can understand that in a debate on the floor of the House, he was carried away with the desire to secure a debating point or, perhaps, that he did not have the previous chance to discuss this matter in detail with his own colleagues and that he could not just make a commitment in the House. But I should have expected of him that he should have been a little more self-restrained and he should not have been so categorical in rejecting such a demand outright.

I say that the President's Rule in Assam is a dire necessity because the last thing has not been heard about what is going to happen in Assam. Everyday almost, when you pen the newspapers of that area, you find reports of acts of lawlessness within the city of Gauhati, in the suburbs and other parts of Assam, of people being stopped in cars and beaten up, of young people, going from one part of the State to the other, telling the non-Assamese to get out, tearing down the sign-boards, whether English or Hindi, and ordering that these sign-boards should immediately be changed into Assamese. There are reports of bigger troubles shooting up and we do not know when these troubles will overtake us again.

The question now is what is to be done in these circumstances, to ensure the safety of the life and property of the citizens living in Assam. I would submit to you that any Government that rules anywhere cannot rule, specially in a democratic set-up, like our country—this is not a dictatorship, this is not a monarchy—any Government that rules must rule not only with legal authority but more so with moral authority.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): Can the President's Rule

give a guarantee to the non-Assamese people? Only the people of Assam can give a guarantee.

SHRI SWELL: I have very little time at my disposal; I don't yield.

The Home Minister would like to leave the matter even now in the hands of the State Government. He has taken shelter cleverly under the appointment of a judicial commission to inquire into the matter and. he says, whatever the findings of the inquiry, he shall have to take action accordingly and if the State Government is found to be guilty, it will have to face the music. It sounds very reasonable. It would have been all right if the situation can wait. But the situation in Assam cannot wait. The question now is this. Can the State Government of Assam, can the Government of Mr. Chaliha, impose its moral authority on the people to keep peace and to keep law and order in the State? Can that Government of Mr. Chaliha, that has been behind the miscreants who went round Gauhati, indulging in these acts of lawlessness, has given them the green light, can that Government that has got a sort of secret understanding with these people, turn round now and say to these people, "Now, it is enough; stop these acts. If you do not stop these acts of lawlessness, I am going to take strong action against you." In other words, Sir, if I drink and I am a drunkard and I turn round to my friend who drinks and say 'Don't drink, it is bad for you', has my word any moral authority on that person? He will not respect me. The position in Assam today is this. that the people who have indulged in these acts of lawlessness and hooliganism with the connivance of the State Government will snap their fingers at the State Government because the State Government has lost the moral authority to tell them to stop and not to indulge in these acts of lawlessness any more. That is one aspect which has to be considered.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member's time is up.

SHRI SWELL: I want to have some more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may have a couple of more minutes.

SHRI SWELL: This is one aspect which has not been properly considered by the Home Minister and by this Government. And I wish the hon. Members of this House to understand this and to impress this on this Government that the State Government of Assam today has entirely lost the moral authority to impose its will on the anti-social elements in that State. Then what follows, Sir? A deep feeling is there among the victims of this act of lawlessness. Then what about the common people who have been the witnesses of this most disturbing exhibition of lawlessness, in the words of the Home Minister? They too have completely lost faith in the machinery of the State Government to protect their lives and property. I may take this opportunity to tell you, Sir, that we were much disturbed in Shillong when all those incidents in Gauhati occurred. I come from Shillong, from the hill areas. After all these things that happened in Gauhati, a large number of non-tribal communities living in Shillong, including my friends the Assamese, have a feeling insecurity that because these things had happened in Gauhati something might happen in Shillong also. They did not have any faith in the State Government and it was necessary for us, under the auspices of the All Party Hill Leaders' Conference to take out a procession on the 9th of this month in 150 buses and trucks full of our volunteers, to go round in the City of Shillong, and tell the people, especially the minorities, that while the Government had failed, we are here. We told them: "You should have no fear of your life and property. We shall see that nothing untoward happens to you as long as we are here." That is the kind of

[Shri Swell]

feeling that is there in Assam today.

I would like to speak on the reorganisation question, but you would not give me any time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may take some other opportunity.

SHRI SWELL: I will conclude now. We can take care of the hill areas, but what about the plains? The miscreants would not listen to Mr. Chaliha and his Government any more. The ordinary people have no faith, and they do not know what is going to happen. What is going to happen is this, that the people will defend themselves. I have it on good authority that on the 26th of January when the trouble started the main targets were the Marwaris, the Sindhis, the Punjabis. But there were attempts also to attack some Bengali localities in Gauhati. The Bengalis happen to constitute a sizeable section of the population. I am told that immediately 500 Bengali young men organised themselves as a volunteer force and were prepared to defend that particular locality, and that was how that locality was saved. In Assam today that is the kind of psychology—we cannot depend on the Government, we shall have to defend ourselves. And therefore, any kind of violance, any eruption of violance in any party of Assam will immediately be resisted by the people. And when it is done, the trouble takes a new dimension, all groups of people fighting senselessly against each other in different parts of Assam. It is an easy things for groups of young people to go and burn up shops without any resistance and the police force standing by. But it is different thing for different sections of the people to come to grips in a kind of violent struggle; there is utter chaos in that State. In a situation of chaos like this—and we have heard of Pakistani infiltrators and some sort of Chinese agents—what guarantee is there that they would not pitch in, in that kind of disturbed condition?

Therefore, I say that if peace and order is to be restored in Assam, if the security of life and property is to be there, if we are to avoid any greater development in the very near future, it is necessary for the Government to take immediate steps. If they do not take these steps, they will be failing in their duty, for which this House and this nation has the right to censure them.

Just one word more. I have been talking about the plains of Assam. I am not talking about the reorganisation question. But I am telling you this. So long the atmosphere in the Hill areas has been peaceful. We have been disciplined. We have carried ourselves in a disciplined manner, as I have told you just now. But we cannot wait indefinitely. We are watching very keenly if this Government is going to surrender to this kind of brow-beating and blackmail by hooliganism. If they do, I tell you it will set a chain repercussion, not only in Assam, but in the other parts of the Hill Areas as well. We have taken a solemn decision—we are a democratic people—that if this question of reorganisation is not settled during this Session, things will take a different turn. The Government had said that they were going to settle it in the last session. We have waited. If they are not going to settle it in this session, we have taken a decision to launch direct action against the State Government of Assam to eject it from the Hill areas.

AN HON. MEMBER: It is already there.

SHRI SWELL: When the comes, you have a new element in the situation, and the situation will be wellhigh beyond the control of this Government.

श्री मृत्युंजय प्रसाद : (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी को उन के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करने को मैं उठा हूं। इस अवसर पर उनकी सरकार का ध्यान मैं आप के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातों की ओर खींचना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने सच

कहा है कि पिछला साल हमारे लिए चुनौतियों और कठिनाइयों का साल था और हमने सारे देश को मदद से इस का सफलता के साथ सामना किया। हमारी कठिनाइयों और सफलता की सही कल्पना के लिए हमें 24—25 साल पहले के इतिहास की ओर जाना होगा। 1943 में बंगाल में एक छोटा सा अकाल आया था और सारे बंगाल की बात छोड़ दीजिए, केवल कलकत्ता के महानगर की गली गली में लाशें सड़ रही थीं। इस बार जब कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों में, इतने बड़े क्षेत्र में दो साल लगातार सूखे के बाद अकाल आया तब भी इन तीन प्रदेशों की गैर-कांग्रेसी सरकारों का दावा रहा कि हमारे यहां कोई नहीं मरा। इतना तो हम मान ही लें कि अगर मरे भी कुछ लोग हैं भूख से तो भी इतने कम मरे हैं कि जिन का नहीं के बराबर ही माना जा सकता है। इतने कम मरे हैं, फिर भी इन गैर-कांग्रेसी सरकारों ने बराबर भारत सरकार को ऐसी शिकायत की कि हमें जितना चाहिए, जितना हम माँगते हैं उतना गल्ला भारत सरकार से नहीं मिलता। तब अगर काफी गल्ला न मिला और वहाँ था नहीं तो क्या लोग आशीर्वादों के बल पर ही जीवित रहे? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा जान पड़ता है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों को केन्द्रीय सरकार फूटी आँखों भी नहीं सुहाती थी इसलिए मौके बेमौके, अकारण सकारण जब कभी उन को अवसर मिले तो उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। यहाँ तक कि केरल और बंगाल की सरकारें भी इस बात पर अटल बनी रहीं, पूरी मात्रा में और अगर चावल न मिल सका। तो चावल की कमी को गेहूं से पूरा करने की कोशिश की गई तो इस बात पर भी वह नाराज रहे खैर, इस तरह से प्रश्न कठिनाई से भी हम लोग किसी तरह पार निकले। और इस सफलता के लिए भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है।

किन्तु इस संदर्भ में मैं भारत सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर खींचना चाहूंगा कि हमें अकाल को एक आकस्मिक रोक नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस का इलाज इस हिसाब से करना चाहिए कि यह बार बार आता है और आगे भी आ सकता है और इस लिए इस का ऐसा उपाय करना जरूरी है कि इस रोग से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाये। इसका बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक ही सब से बड़ा इलाज है और वह है पानी का इंतजाम करना। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत से ट्यूबवेल्स और पम्प लगाए गये हैं। किन्तु इन से साल भर ठिकाने से काम तभी चल सकता है जब कि इसका भरोसा हो कि साल भर बिजली उन को ठिकाने से मिलेगी और पम्पों का रख रखाव, मेंटिनेंस भी वाजिब तरीके से होता रहेगा। इन दोनों बातों में हम शंकाशील हैं। इस के बाद एक बहुत बड़ा भरोसा से का उपाय अभी तक अधूरा रह गया है उन दोनों प्रदेशों के लिए और वह है गंडक योजना। आप ने गंडक योजना बनाई। उस पर करोड़ों रुपये खर्च किए काफी दूर तक काम होने के बाद अब सब काम ठप्प पड़ गया, रुक गया। अगर गंडक योजना आप पूरी की पूरी नहीं कर सकते तो उस के छोटे रूप में ही उसे पूरा करना आपके लिए अनिवार्य है। कोई उपाय उस से बचने का आप के पास नहीं है क्योंकि अगर आप उसे बन्द भी करते जाते हैं तो भी करोड़ों रुपये का खर्च आप के ऊपर पड़ जाना है। ठेकेदारों को पैसे देने होंगे, जो काम अधूरा पड़ा हुआ है वह अगली बरसात में बह जायगा इन सब बातों में करोड़ों का घाटा आप को ठेका छोड़ देने पर भी और पूरा करने में उस से कुछ ज्यादा पैसा लग जायगा मगर अगर छोटे रूप में भी यह योजना पूरी की

जाय तो बिहार के तीन जिले और उत्तर प्रदेश के भी दो जिले ऐसे हैं जिनमें अकाल का प्रश्न तो हमेशा के लिए हल हो ही जायगा और इन जिलों के जो हिस्से दूसरों पर अन्न के लिए निर्भर रहते हैं वह खुद खाकर दूसरों को काफ़ी अन्न खिलाने लगेंगे । तो अगर यह पूरी योजना पूरी हो जाय तब तो कहना ही क्या है । यों खर्च की आप के आगे कठिनाई तो है ही मगर सब कठिनाइयों में यह देखना है कि किस योजना में पैसा लगाने से जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लाभ होता है ? साथ ही इसे अधूरा छोड़ने से नेपाल का भी नुक्सान होगा और हमारे सम्बन्ध में कमज़ोरी आयेगी ।

यहाँ एक यह भी मुश्किल है कि बिहार के तीन जिले सारन, चम्पारन और मुज़फ्फ़रपुर उद्योग के लिहाज से बिलकुल कोरे रह गये हैं । यहाँ सब से बड़ा उद्योग है चीनी मिलों का और चीनी मिलों के उद्योग के मानी हैं किसान और खेती । इसलिए यहाँ पर पानी दे कर कृषि को आप न बढ़ाएंगे तो यह मारे जायेंगे । सारन जिला दुनिया की सबसे घनी बस्ती वाले जिलों में से है । मुझे बिहार में पिछले साल नई सरकार बनाने के बाद जाने का अवसर मिला । मैं अपने क्षेत्र में गया । वहाँ पहले गण्डक योजना की नहर बन रही थी जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था, काम रुक गया था, कारण उस के जो भी हों । कभी कभी मन में यह भी शंका होने लगती है कि शायद इस का दोष कुछ मेरे मत्थे भी ना आये क्योंकि पिछली सरकार के हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर कम्यूनिस्ट लीडर है और मैं उन को हरा कर आया हूं और तब के इरीगेशन मिनिस्टर भी कम्यूनिस्ट लीडर हैं । उस क्षेत्र को जिसने रेवेन्यू मिनिस्टर को हराया था उसे शायद एक सबक सिखाया गया । **(व्यवधान)** . . . .

यह भी दुख की बात है कि अकाल की राहत के लिए अटूट धनराशि केन्द्रीय सरकार ने बिहार को दी और यह भी कहा कि आपको जितने की जरूरत होगी देंगे उस में हाथ नहीं रोकेंगे लेकिन वह राशि चाहे कहीं भी खर्च हो लेकिन हार्ड मैनुअल लेबर में सारन जिले में उस का प्रयोग बहुत कम हुआ या नहीं के बराबर हुआ । अगर उस का प्रयोग वहाँ पर गंडक नहरों की योजनाओं पर हुआ होता तो काम बहुत आगे बढ़ गया होता ।

अब मैं अकाल को हमेशा के लिए रोकने की दृष्टि से दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं तथा वह स्थिति केवल हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि कम व बेश सभी जगहों पर लागू होती है । सब से पहली बात तो यह है कि हर जगह पर उन्नत जाति के बीज पहुंचने चाहिएं, परन्तु इस के साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी है कि जहाँ की जैसी जमीन हो जैसी आबोहवा हो, सिंचाई की जैसी व्यवस्था हो, उसी के अनुकूल बीज वहाँ पहुंचना चाहिए, ऐसा न हो कि जहाँ की जमीन ऊंची हो वहाँ नीचे का बीज पहुंचे और जहाँ की जमीन नीची हो, वहाँ ऊंचे का बीज पहुंचे । मैंने इस बात का उल्लेख इस लिये किया है कि ऐसा घटाला बहुत जगहों पर देखने में आया है ।

रासायनिक खाद के लिए व्यवस्था हो रही है, यह बहुत वाजिब बात है और मुझे खुशी है कि इस की उत्पति बढ़ती जा रही है । किन्तु केवल रासायनिक खाद से ही काम चलने वाला नहीं है । हमें दिन-ब-दिन गोबर की खाद की जितनी जरूरत होती है, वह नहीं मिल पाती है, उसकी कमी हो रही है । इस का मुख्य कारण यह है कि गांवों में जलाने की लकड़ी की कमी है, इस लिए उस के स्थान पर गोबर जल जाता है । ऐसी हालत में मेरा सुझाव है कि हमें ग्रीन मैन्योर (हरी खाद) अधिक बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए इस में एक कठिनाई यह है कि उसका बीज सब जगह पैदा नहीं

नहीं किया जा सकता। इसलिये जहां जहां बीज पैदा किया जा सकता है, वहां से उन क्षेत्रों में पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये जहां कि उन की आवश्यकता है। ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि जब मैंने अपने लिये उस को प्राप्त करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि अगर कानपुर से वैगन लोड में मंगाऊं तब तो कोई कठिनाई नहीं है लेकिन यदि मैं एक दो बोरी लेना चाहूं तो मुश्किल है। जब मेरे साथ ही ऐसी कठिनाई पेश आई तो औरों के साथ तो होगी ही।

इसी तरह का घ.टाला कीट नाशक रसायनों के सम्बन्ध में देखने को आया है। कागजों में तो सब कुछ ठीक लिखा होता है कि कीटाणुओं का नाश हो गया है, लेकिन देखने में यह आता है कि आपकी दवाओं से बहुत कम कीड़ों का नाश होता है। कम से कम बिहार में इसकी बहुत शिकायत है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

पम्प आदि लगाने के लिये योजना तो बहुत बनती हैं, बहुत सी व्यवस्थायें की जाती हैं मगर काम में समय देखने में आता है कि गरीब किसानों को इस के लिये दौड़ना ही हासिल रहता है, छः छः महीने बरस दिन दौड़ते रहते हैं तब भी काम 10 में से दो का ही होता है, बाकी दौड़ते ही रह जाते हैं। इसलिये यह एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात है और राज्य सरकार को इसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये।

पटना बिहार की राजधानी है, परन्तु उत्तर बिहार से पटना का सम्बन्ध बहुत ही कमजोर है। पटना से उत्तर बिहार जाने के लिये हमें नाव से या स्टीमर से गंगा पार जाना पड़ता है, जिसमें बहुत काफी समय लगता है। यह ठीक है कि मुकामा के निकट गंगा पर पुल बना है परन्तु वह पुल पूर्वोत्तर बिहार और पटना का सम्बन्ध जोड़ सकता है, उस से उत्तर बिहार का सम्बन्ध ठीक नहीं होता है। कलकत्ता और उत्तर बिहार का सम्बन्ध मुकामा के पुल से बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया है, इस के लिये हम आपके आभारी हैं, किन्तु उत्तर बिहार से पटना का सम्बन्ध ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाया है। हम सुनते हैं कि बक्सर में गंगा के ऊपर पुल बनने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री : (डा० राम सुभग सिंह) : वह तो बनना ही चाहिए।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : जरूर बनाना चाहिये आपके क्षेत्र में है न। मैं कह रहा था कि बक्सर में पुल बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, उस से उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत अच्छा सम्बन्ध जुटेगा मगर साथ साथ ही साथ एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिये कि जो काम पटना में हो सकता है वह न बक्सर में पूरा होगा और न मुकामा के पुल से पूरा होगा।

अब सभापति महोदय, एक दूसरे विषय की ओर आना चाहूंगा। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि विरोधी दलों के कई नेताओं ने सदन के भीतर होने वाली अशोभनीय बातों के प्रति अपना क्षोभ व्यक्त किया है, परन्तु यह तो यहां की बात हुई अभी ता० 14 को कलकत्ता में जो बीता उसके लिये मैं नहीं समझता था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी या प्रो० रंगा या किसी और नेता के पास कोई जोरदार शब्द ऐसे हैं कि उसकी यथेष्ट रूप से भर्त्सना कर सके। उनकी भाषा में शब्द ही नहीं हैं, लाचार हैं। अब तो यह हालत हो गई है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रीट डेमोक्रेसी बना रहे हैं, स्ट्रीट पार्लियामेंट बना रहे है, और अब वह स्टीट तक ही न रह कर, गलियों से मुड़कर आपके सदन में आ रही है। जो दृश्य बंगाल में देखने में आये भगवान न करे, परन्तु कौन जानता है, एक दिन यहां भी न आ जाय। गैर-कांग्रेसी सरकारों और संविद दलों के नेता लोग यह मानते हैं कि जो वह करें, वह ठीक है और जो दूसरे

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

करें वह गलत हैं। जब डा० घोष ने संविद सरकार को छोड़ा तब उन् को देश दोही श्रौर गद्दार कहा गया। कम्यूनिस्ट नेता ने कलकत्ते में कहा कि उन के समर्थकों की चमड़ी खींच लेनी चाहिए, उन के घर में श्राग लगा देनी चाहिये They should be skimmed, their house set on fire शायद यह हुकुम नामा श्री श्रशुतोष घोष के लिये भी लागू था जिस समय वह संविद दल के साथ थे, लेकिन जिस समय वह डा० पी० सी० घोष साहब का दल छोड़ कर श्रा गये तभी वह देशप्रेमी हो गये, वीर हो गये, नेता हो गये, त्यागी हो गये श्रब उनके लिये वह हुकुमनामा लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह ने जब कांग्रेस को छोड़ा, तो वह बलिदानी श्रौर वीर थे, यही बात मध्य प्रदेश में श्री गोविन्द नारायण सिंह के लिये कही गई, लेकिन बिहार में सात या श्राठ सितम्बर, 1967 की दोपहर तक हमें पता नहीं था कि कांग्रेस में भी चार बलिदानी वीर छिपे हुए हैं। किन्तु उसी दिन शाम को पता चला कि वे चारों बलिदानी वीर कांग्रेस छोड़ कर संविद में चले गये श्रौर रांची जा कर मन्त्री बन गये ....

श्री लखन लाल कपूर : लेकिन फिर वापस श्रा गये।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : ठीक है; जिस समय वह कांग्रेस छोड़ कर गये थे उन को बलिदानी, वीर, त्यागी कहा गया लेकिन उनमें दो ने पुनः संविद को छोड़ा तो उन को गालियां दी जा रही हैं, गद्दार कहा जा रहा है श्रौर जिस तरह की भाषा उनके लिये प्रयोग की जा रही है मैं उस भाषा का प्रयोग इस सदन में नहीं कर सकता। मगर उस के बावजूद भी श्राज संविद के नेता बाबू महामाया प्रसाद इस प्रयत्न में हैं कि वे लोग फिर से लौट कर श्राजायें श्रौर यदि लौट श्रायें तो शर्तिया फिर से वे बलिदानी श्रौर त्यागी बन जायेंगे।

श्रभी हाल में पटना में कम्युनिस्ट पार्टी की कान्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हमें सब जगहों पर कांग्रेस सरकारों को गिराना चाहिए। श्रापका दल है, श्राप राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं, जरूर गिराइये, श्राप श्रपनी कोशिशों से क्यों बाज श्रायें, मगर जब हम ऐसी बात कहते हैं तो हम बुरे हैं श्रौर श्राप कहते हैं तो श्रच्छे श्रादमी हैं? श्रगर हम ने संविद की सरकार को गिराया तो क्या गुनाह किया? बिहार में महामाया बाबू ने क्या किया। हम श्रसेम्बली के बाहर की गिनती नहीं मानते हमें श्रसेम्बली में हराश्रो। मगर हम जब नहीं चाहेंगे, श्रसेम्बली नहीं बुलायेंगे । श्राखिर महीने बाद उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को श्रसेम्बली बैठेगी, 18 जनवरी को वहां बैठी, लेकिन उस के बाद भी कोशिश करने लगे कि किसी तरह से श्रविश्वास का प्रस्ताव वहां न श्राने पाये, लेकिन वही बात श्राई, रुक नहीं सकी श्रौर फिर उनकी सरकार गिर गई। उस के बाद उन्होंने फिर उसी काम को शुरू कर दिया, जो वह पहले किया कारते थे। पहले वह कहा करते थे कि हम बाहर की गिनती को नहीं मानते, श्रसेम्बली में हराश्रों श्रब वही महामाया बाबू गवर्नर के पास जा कर कहते हैं कि हमारी शक्ति फिर से बढ़ गई है, इसलिये इन को हटा कर हम को चीफ मिनिस्टर बनाश्रो। मानों गवर्नर को फिर से अधिकार मिल गये हैं बंगाल में पहले गवर्नर को अधिकार नहीं था सरकार को बदलने का, लेकिन बिहार में वे अधिकार दे दिये गये हैं कि गवर्नर सरकार को डिस्मिस कर सकता है इसलिये श्राप इन को डिस्मिस करके हम को बनाश्रो, खैर वह जो चाहें कहते रहें।

श्रब मैं श्रापके सामने एक कोटेशन पढ़ कर समाप्त करूंगा। उसके पहले मैं श्रपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा

हूं बल्कि ग्रापके ही विरोधी दल के एक नेता की बात कह रहा हूं। श्री हेम बरुग्रा ने कहा था कि चाहे नक्सलबाड़ी हो, रांची हो, कोयम्बटूर हो सब जगह एक ही नक्शा, एक ही पैटर्न दिखाई देता है। सब जगह एक ही मिसाल है ग्रब मैं जरा पुरानी जगह चला जाता हूं। मेरे सामने यह पैटर्न है बहुत पुराना पैटर्न है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के कागजात जो सरकार ने पकड़े थे उनमें से पढ़ता हूं :—

> "Offering a general definition, of appropriate guerilla activities, the document listed the raiding of police stations, zamindar or jotedar houses, ambushing police parties to annihilate and collect arms from them, the sabotaging of enemy communication lines, cutting of telegraph and telephone lines for isolating the enemy."

> Another leaflet declaring "Set fire to the whole of Bengal... Attack the Congress brutes in all directions".

सरकार ने सन 49 में कम्युनिस्ट पार्टी का डाकूमेन्ट पाया था। किताब मेरे पास है मैं दिखा दूंगा उसी में से मैंने डाकूमेन्ट पढ़ा है। ग्रागे है :

> Another leaflet declaring "Set fire to the whole of Bengal . . . Attack the Congress brutes in all directions."

> Another leaflet declaring, "The blood of our martyrs is calling for revenge. The gaping wounds of our prison-heroes cry for justice. Forward to unprecedented mass militant struggles. Forward to storm the Congress Bastilles."

श्री मनूभाई पटेल (डभोई) : कौन सी किताब है ?

श्री मृत्युंजय प्रसाद : कम्युनिस्ट इन इंडिया। गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से उन्होंने लिया है। गवर्नमेन्ट का पब्लिकेशन हुग्रा था। गवर्नमेन्ट ने कागज पकड़े थे। किताब मेरे पास है ग्राप ले लीजियेगा।

मैं तो यही कहता हूं कि सब जगह एक ही पैटर्न रहा ग्रौर उसी पैटर्न के मुताबिक काम होता है ग्रौर यह ग्राज से नहीं शुरू से चला ग्राया है। ग्रभी कलकत्ते में जो हुग्रा उसका भी वही पैटर्न है। तो ग्रन्त में मैं यही कह कर खत्म करना चाहता हूं कि मेरी ग्रपील है विरोधी दलों के उन नेताग्रों से ग्रौर उन मित्रों से जो कि कम्युनिस्ट नहीं हैं ग्रौर जो कि कम्युनिज्म के धोखे को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं बल्कि हम से ज्यादा समझ रहे हैं कि वे भले ही हमको हरायें, कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह भी हमारे साथ रहेंगे मगर वे केवल इसलिए उनका साथ न दें कि हम से नाराज हैं। वे उनका साथ न दें जिनका ग्रराध्य या तो चीन है या रूस है, जिनके हुकुम के मुताबिक वे काम करते हैं। मैं यही कह कर बैठूंगा कि कुछ हमारी भी सुनें :—

हम ग्राह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका): ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत जी यादव ने महामान्य राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका यदि मैं समर्थन कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती लेकिन मुझे सख्त ग्रफसोस है कि मैं उसका समर्थन करने में ग्रपने को लाचार पा रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में वे ही घिसी पिटी हुई बातें कही गई हैं जो कि हम पिछले 20 वर्षों से सुनते ग्रा रहे हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे देश में चारों ग्रोर ग्राग लगी हुई है। जब मैं इस शब्द "ग्राग" का प्रयोग करता हूं तो मैं कोई ग्रलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं बल्कि उसे उसके सही शब्दार्थ में प्रयोग कर रहा हूं। उत्तर में देखिए या दक्षिण में कहीं भाषा के नाम पर,

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

कहीं साम्प्रदायिकता के नाम पर, कहीं प्रान्तीयता के नाम पर चारों ओर आग लगी हुई है । गोहाटी में जो कुछ हुआ, उसका स्मरण मनों में ताजा है। मुझे इसका अफसोस है कि राष्ट्रपति के भाषण में उसकी जरा भी चर्चा नहीं की गई यद्यपि राष्ट्रपति का भाषण उसके करीब करीब दो हफ्ते बाद हुआ ।

आसाम की घटनाओं के बारे में यहां बहुत काफी चर्चा हो चुकी है । इसके विषय में स्थगन प्रस्ताव आया, काल अटेन्शन आया और मैं देख रहा हूं कि यहां जितने सदस्य बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के भाषण पर, वे भी आसाम की घटनाओं की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। जब तक मैं आसाम नहीं गया था और जाकर अपनी आंखों से नहीं देखा था, मैंने जो कुछ सुना था, उस पर कभी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वहां जाकर जो कुछ देखा और जो कुछ सुना उससे कलेजा मुंह को आ गया किन्तु मैं उन घटनाओं का वर्णन करके आपका समय नहीं लेना चाहता।

मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि वहां पर करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, मुझे इस बात की भी चिन्ता नहीं है कि वहां सकड़ों और हजारों लोग बेघरबार हो गए और न मुझे इस बात की चिन्ता है कि वहां लोगों को इतनी तकलीफें हुईं, किन्तु सब से बड़ी चिन्ता का जो विषय है, वह यह है कि 26 जनवरी को जिस दिन कि हम अपना राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय झंडे का घोरतम अपमान हुआ। हमारे राष्ट्रीय झंडे को केवल गवर्नमेन्ट के आफिसेज से या पार्टियों के आफिसेज से उतारा नहीं गया बल्कि उसे पैरों तले रौंद कर जलाया गया । यह सब हुआ पुलिस की आखों के सामने फौज के जवानों के सामने, जिनका कि कर्त्तव्य था कि उस झंडे की रक्षा करते और उसके लिये बलिदान हो जाते ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि ऐसी घटनाओं में करोड़ों की सम्पत्ति की क्षति होती है, लोगों को तकलीफ होती है लेकिन हमें उसकी चिन्ता नहीं है । इसके भीतर जो प्रवृत्ति काम कर रही है उसको हमें देखना है।

आसाम में जो घटनायें हुईं क्या उसके पीछे विद्यार्थियों का रोष था ? क्या वहां पर यह जो घटनाएं हुई उनके पीछे प्रान्तीयता की भावना को उभारा गया था ? क्या इस रोष का कारण व्यापारियों का विरोध था या गैर आसामियों की जो भावना है वह था ? मैं कहूंगा कि इसमें लोगों ने बहुत कुछ अटकलबाजियां लगाई हैं । किसी न किसी एक कारण पर जोर दिया गया है और किसी ने सभी कारणों को इसके लिए दोषी ठहराया है । लेकिन इन अटकलबाजियों के पीछे हमें इसके असली रूप को देखना है ।

कुछ भाषणों में हमने देखा कि इसको साम्प्रदायिकता का भी रूप दिया गया है । गोहाटी की घटनाओं में हमने देखा कि जहां जहां गैर आसामियों (हिन्दुओं) की सम्पत्ति को लूटा और जलाया गया वहां आसामियों की सम्पत्ति को क्षति नहीं हुई । यहां तक भी देखा गया कि आस पास में जहां हिन्दुओं के घर में आग लगी हुई थी वहां मुसलमानों के घरों में आग लगाई नहीं गई बल्कि उन्हें बचाया भी गया ।

मैं यहां पर एक बात और साफ कर देना चाहता हूं । हाल ही में जहां जहां हिन्दू मुसलमान दंगे हुए हैं, उन्हें मैं साम्प्रदायिक दंगे नहीं मानता । साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तान में तभी दफना दी गई थी जब कि हमने पाकिसतान को स्वीकार कर लिया था । मैं अदब के साथ आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ने के आदी

ही हैं वे शताब्दियों से एक साथ रहते आए हैं उन्हें तो किसी और ने आपस में लड़ाया। अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिये हिन्दू मुसलमानों को लड़ा दिया था। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो फिर हमें देखना चाहिये कि फिर भी उनमें कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके कारण आज भी वे लड़ रहे हैं। आप इन लोगों के इतिहास को देखें हिन्दुओं का कोई पूजा का जलूस हो—गणपति का जलूस हो या भाषा विवाद से सम्बन्धित कोई जलूस हो उसमें किसी न किसी तत्व ने पहले ईंट पत्थर या बम फेंके हैं।

हो सकता है कि उन्हें फेंकने वाला मुसलमान हो, हिन्दू हो या और कोई हो लेकिन वह सही मायनों में भारत वासी कभी नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि उसने जो कुछ किया वह केवल हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिये किया हो।

यह हाल के रांची और मेरठ में हुए दंगों के बारे में आप विचार करके देखिये कि आखिर वे शुरू कैसे हुए? रांची में जो दंगा हुआ वह कैसे शुरू हुआ? वहां उर्दू भाषा के विरोध में और हिन्दी के समर्थन में स्कूलों के कुछ लड़के एक जलूस निकाल रहे थे जब वह जलूस जब उर्दू बाजार में पहुंचा तो उस पर कुछ ढेले व बोतलें फेंकी और लाठियां चलाई गई और इस तरह वहां पर झगड़ा आरम्भ किया गया। उसमें सर्व प्रथम जो शहीद हुए वे थे हमारे एक कार्यकर्त्ता श्री मल्होत्रा। मुझे याद आता है कि जब मैं मल्होत्रा जी की स्त्री से मिलने गया था तो उन्होंने रो रो कर यही कहा था कि एक तो हम पाकिस्तान से लूट पिटकर शरणार्थी बन कर यहां भारत में आये लेकिन यहां भारत में हमारी हालत तो पाकिस्तान से भी बुरी हुई है।

जब तक उन दंगों में हुई क्षति का सवाल है मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि उसमें मुसलमानों की क्षति अधिक होनी चाहिये, हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के जानमाल की अधिक क्षति हुई लेकिन इन दंगों में हुई क्षति की बैलेंस शीट मिलाकर दोष निर्धारण करना उचित न होगा बल्कि आप को देखना तो यह चाहिये कि उसमें पहल किसने की? पहला दोषी कौन है? अब अगर इस बैलेंस शीट के सिद्धांत के अनुसार ही इसका निश्चय करना चाहेंगे तो उस सिद्धांत के अनुसार तो 1965 में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था यदि उसका बैलेंस शीट मिलावें तो देखेंगे कि पाकिस्तान की ही जानमाल में अधिक क्षति हुई थी तो क्या आप यह मानने के लिये तैयार हैं कि हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को बहुत क्षति पहुंचाई थी अतएव हिन्दुस्तान और भारत सरकार ही दोषी थी? अब जैसे आप उसे नहीं मानते हैं वैसे ही यहां की घटनाओं के बारे में भी सोचना चाहिये कि दरअसल पहल किसने की? यह मैं नहीं कहता कि हिन्दुओं का उसमें कोई दोष ही नहीं है लेकिन आपको देखना है कि इन तथ्यों के पीछे किसका हाथ है और कौन सी शक्ति यह काम करवा रही है?

मैं ने कहा है कि भारत वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे यहां साम्प्रदायिकता को मिट जाना चाहिये था लेकिन साम्प्रदायिकता मिटी नहीं है और वह अधिक पनपी है। उसके लिये हमें देखना है कि इसके पीछे किन शक्ति का स्वार्थ है, किन लोगों का स्वार्थ है जो कि उसके पीछे हैं?

इस पृष्ठभूमि में असम की घटनाओं का यदि आप सिंहावलोकन करें तो आप पायेंगे कि असम की घटनाओं के लिये न मुसलमान दोषी है और न ही चालिहा साहब दोषी हैं। जो कि केन्द्र की असम पुनर्गठन नीति के विरुद्ध हैं न विद्यार्थी और न प्रांतीयता रूपी मन्दिरों से की हुई कैसे मत्त आसामी जनता को ही दोषी मानता हूं। इस असम की घटनाओं के पीछे लाचित सेना का भी नाम लिया गया है। लेकिन अब तक हमें यह नहीं मालूम हो सका कि वह लाचित सेना क्या बला है, इस का संगठन क्या है या उसके पीछे कौन सी शक्तियां

[श्री वेण. शंकर शर्मा]

काम कर रही है ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाचित सेना के नाम पर जहाँ तक मैं सोच सका हूं और मैंने जो देखा है उसमें से मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे जो शत्रु देश हैं वह लाचित सेना का नाम लेकर यह काम कर रहे हैं और साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़ कर, असम की जनता की भावनाओं को उभाड़ कर केन्द्र के प्रति जो असन्तोष है उसको उभाड़ कर व्यापारियों के प्रति जो उनका रोष है उसे उभाड़ कर वह अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं।

अभी मैं कलकत्ता गया था। मेरे हाथ में एक पत्र आया था और उसकी फोटो स्टैट कापी मैं पेश करना चाहता हूं। आप यह भी जानते हैं कि अभी तक असम में गोहाटी में और डिब्रूगढ़ में लोगों के पास धमकियों को भरी चिट्ठियाँ आ रही हैं। इस तरह के पोस्टर्स वहाँ पर लगाये जा रहे हैं कि 30 जून तक अगर गैर-आसामी असम को खाली नहीं करेंगे तो इस बार उन की जान की खैर नहीं है और वहाँ भी गैर-आसामी जनता इस कारण बड़ी घबड़ाई हुई है। अभी वहाँ की प्रांतीय सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जो लोग इन घटनाओं के पीछे थे और जो इन घटनाओं के मूल में थे सरकार उन तक पहुंच नहीं सकी है। जो लोग गिरफ्तार किये भी गये हैं वह छोटे मोटे धंधे करने वाले पैटीट्रेडर्स हैं लेकिन दरअसल जो बेन इस के पीछे है उन तक सरकार का हाथ नहीं पहुंच सका है और सरकार उनको पकड़ नहीं सकी है और न उनके लिये कुछ कर ही सकी है।

अभी जैसा मैंने कहा वहाँ अभी भी पोस्टर्स लगाये जा रहे हैं, लोगों के पास धमकी भरे पत्र आ रहे हैं, टेलीफोंस आ रहे हैं। लोगों ने पोस्टर्स चिपकाते हुए दिखला भी दिया लेकिन कोई भी गिरफ्तारियाँ उस पर अमल में नहीं आई। उस कारण लोगों के मन में अभी भी शंका बनी हुई है कि आगे क्या होगा ? वह जब पहले धमकियाँ दी गई थी तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसी धमकियाँ तो रोज देते रहते हैं लेकिन बाद में साबित हो गया कि वह धमकियाँ थोथी धमकियाँ नहीं थीं और उन के अनुसार वहाँ काम हुआ इसलिए आगे भी जो अब धमकियाँ दी जा रही हैं वह थोथी होंगी ऐसा मैं विश्वास नहीं करता और मैं समझता हूं कि वह धमकियाँ भी थोथी नहीं होंगी। असम के रहने वाले लोग इन धमकियों पर अविश्वास नहीं कर पाते। आज उनका दिल काँप रहा है और एक तरीके से उन की आस्था इस सरकार पर से उठ रही है।

अभी यह जो पत्र मेरे हाथ में आया है उसका लिफाफा तो पाकिस्तानी है किन्तु वह जोरहाट से डाला गया है। यह पत्र मैसर्स गार्डन स्टोर्स ऐंड कम्पनी, जोरहाट' असम को लिखा हुआ है। जो इस प्रकार है :—

"To

M/s Garden Store & Co.,
Gar-Ali, Jorhat, Assam,

Hereby informed to you that all of you quit Assam because Assam is for only Assamese people".

Yours
Lachit Sena
Father

उस पत्र के नीचे दिया हुआ है योर्स लाचित सेना। जैसा मैंने कहा इस पत्र पर पाकिस्तान का स्टाम्प है इसलिये यह सिद्ध हो जाता है कि कम से कम जो उसे भेजने वाला है वह बहुत से पत्र असम से ही डालता है। कुछ वह भारतीय डाक टिकट से डालता है लेकिन उसके पास कुछ पाकिस्तानी स्टाम्प भी थे जिसे कि वह काम में लाया है। अब इन बारे में जाँच पड़ताल करने का काम सरकार का है। प्रदेश सरकार ने मेजर सेन न्यायाधीश के सभापतित्व में एक कमिशन नियुक्त किया है। मैं इस कमिशन का स्वागत

करता हूं लेकिन मैं ग्राप के माध्यम से इस सरकार को यह कह देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दगों की तथा ग्रसम कांड की जांच के लिये ये न्यायाधिकरण यथेष्ट नहीं है। इन के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए हमें सी० बी० ग्राई० सरीखी संस्था के उच्चस्तरीय दस्तों को नियोजित करना है जो इन की तह तक पहुंच सकें।

यह बात निश्चित है ग्रौर कम से कम जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है मैं ग्राप को बतला दूं कि उन दिनों में मैं तीन बार ग्रसम गया ग्रौर मैंने जो कुछ देखा उससे मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि वहां जहां ग्रसम के लोगों को उभारा गया है, उन की भावनाग्रों को उभाड़ा गया है वहां ऐसी भी शक्तियां हैं जो कि हमारे देश की शत्रु हैं। इस देश में देश के शत्रुग्रों की कमी नहीं है। राष्ट्रपति जी ने ग्रपने ग्रभिभाषण में चीन व पाकिस्तान की चर्चा की है लेकिन ग्राप को यह जानना चाहिए कि जहां शत्रु लोग केवल सीमाग्रों पर कुछ गड़बड़ करके ग्रौर फुलझड़ियां चला कर ही बस नहीं करते हैं बल्कि उनके एजन्ट देश के ग्रन्दर रह कर जहर फैलाते रहते हैं ग्रौर ग्रराष्ट्रीय हरकतें करते हैं। कभी कभी मुझे दुःख भी होता है ग्राश्चर्य भी होता है यह देख कर कि हम ऊपरी बातों में फंस जाते हैं ग्रौर हम रोग के ग्रसली कारणों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं।

जब पहले पहल वह पत्र मेरे हाथ में ग्राया था तो मैंने चव्हाण साहब को 6 ग्रक्तूबर को लिखा था कि इस तरह का पत्र ग्रसम के लोगों में वितरित किया जा रहा है लेकिन मुझे उस का केवल ग्रौपचारिक उत्तर ही दिया गया।

मैंने उस में लिखा था कि ग्राप उस की जांच ग्रपने इंटेलिजेन्स ब्यूरो से करवायें ग्रौर उस के बाद उस के ऊपर ग्रावश्यक कार्यवाही करें लेकिन मुझे दुःख है कि उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि ग्रगर कोई कार्यवाही की जाती तो जो घटनाएं गोहाटी में हुई वह शायद नहीं होतीं।

इस के पीछे एक मामूली सी बात है ग्रौर उस के लिए मैं ग्राप को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले इतिहास की ग्रोर ले जाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की रूपरेखा बनी थी तो ग्रसम को पाकिस्तान का ग्रंग माना गया था ग्रौर 1940 से [illegible] पहले से ही ग्रसम की पाकिस्तान में जाने की चर्चा हुई थी तो उस समय उस की चर्चा होने के साथ साथ ग्रसम में पूर्व बंगाल के मुसलमानों को योजनाबद्ध रूप में लाकर बसाया जा रहा था ताकि पूर्व बंगाल की तरह ग्रसम भी एक मुस्लिम बहुल प्रान्त हो जाय। सादुल्ला साहब की मिनिस्टरी का ग्रौर मुस्लिम लीग का यह मंसूबा था कि ग्रसम को इस तरह से योजना करके एक मुस्लिम बहुल प्रान्त बना लिया जाय। स्वतन्त्रता के बाद यह क्रम जारी रहा। सादुल्ला मिनिस्टरी ने इस हेतु सीमा-स्थित जिलों में जिलाधीशों ग्रादि के पदों पर लीगी तत्व नियुक्त किये। परिणामतः वहां जोरहाट, डिब्रूगढ़ ग्रौर ग्रन्य स्थानों पर भी ऊंचे जिलाधीशों ग्रादि के पदों पर लीग मेंटेलिटी के व्यक्ति तैनात किये गये। चूंकि ग्रभी भी हमने उधर ध्यान नहीं किया इसी का यह परिणाम देखने में ग्रा रहा है कि ग्राज ग्रसम में बीस-पच्चीस लाख गैर-कानूनी ढंग से ग्राये हुए पाकिस्तानी मौजूद हैं। क्या दुनिया के पर्दे पर ऐसा कोई देश ग्राप को देखने को मिलेगा जहां ग्रन्य देशों के लोग ग्रौर वे भी इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार इल्लीगली ग्राकर बैठ जायें?

क्या ग्राप के 20 या 25 ग्रादमी भी पाकिस्तान, सीलोन या बर्मा जा सकते हैं? यह कैसी विडंबना है, कैसी विचित्रता है कि जिस देश के पांच ग्रादमी भी कहीं ग्रौर प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर बाहर के बीस या 25 लाख ग्रादमी ग्रा गए हैं। जब मैं ग्रसम

[श्री वेणीशंकर शर्मा]

गया था तब वहां सुना था कि केन्द्र की होम मिनिस्ट्री से एक ऐसा आदेश गया है जिसके अनुसार पांच वर्ष या उससे अधिक से जो पाकिस्तानी घुसपैठिये असम में बसे हुए हैं। उन्हें यहां की नागरिकता प्रदान कर दी जाय। तस्वीर साफ है कि जहां हम हिन्दुओं की संख्या को कम करना चाहते हैं वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और इस में किस का स्वार्थ हो सकता है यह आपके सामने है। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो कमीशन बिठलाया है उस के साथ साथ उस को अपनी इंटेलीजेंस के द्वारा भी तहकीकात करने के लिए उचित कदम उठाने चाहियें।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address which has been moved. By and large, in this year's President's Address, all the major problems facing the nation have been put forward for the consideration of this nation and of this House. I would like to make a few observations regarding the policy towards Pakistan, China and on the language problem. This year also, in the President's Address, the hope has been expressed for better and friendly relations with Pakistan and this hope has been placed on the Tashkent declaration. I would like to draw your attention to the President's Address of 1966, where it is stated:

> "It was Shri Lal Bahadur Shastri's hope and belief that the Tashkent declaration would lay the foundation for an enduring peace and frindship between India and Pakistan. More even than the letter it is the spirit of the Tashkent declaration that is important."

Then, Sir, we come to the Address of 1967, and about what happened in that year, I will come a little later. There it is stated:

> "Government most sincerely desire the friendship and cooperation of the Government and people of Pakistan. Nothing has distressed it more than the bitterness and conflict which have sometimes divided the two countries which have many common interests. Government will make every effort to achieve relationship of fullest understanding and good-will and amity with Pakistan."

Then, Sir, this year it has been stated like this. I will quote one of two sentences. It is stated:

> "It is a matter of regret that our relations with Pakistan and China remain unsatisfactory."

15.59 hrs.

RE. AWARD OF KUTCH TRIBUNAL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने के साथ-साथ एक स्थगन प्रस्ताव भी पेश करना है। अभी माननीय सदस्य पाकिस्तान और भारत के रिश्ते की बात कर रहे थे। अभी-अभी मुझे खबर मिली है कि कच्छ ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है और कच्छ का 10 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में चला गया है अवार्ड के अनुसार। अभी-अभी रेडियो पर यह बात आई है। यह बड़ा गम्भीर मामला है और मेरी राय में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस चल रही है उस को अब तत्काल स्थगित कर देना चाहिये और इस मामले को ले लिया जाये। उसका कारण यह है—आप शायद उस वक्त नहीं थे लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं—कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ का करार किया था तब उन्होंने इस सदन के सामने वादा किया था कि जमीन पर केवल सीमा का अंकन करने के बारे में हम समझौता कर रहे हैं। टु डिमार्केट दि